मथुरादास की डायरी • मुद्राराक्षस

जगतराम एण्ड सन्स
मेन बाज़ार, गांधी नगर, दिल्ली-110031

© मुद्राराक्षस

प्रकाशक

जगतराम एण्ड संस
IX/221, मेन बाजार, गांधीनगर
दिल्ली-110031

प्रथम संस्करण

1992

मूल्य

पचास रुपये

मुद्रक

अजय प्रिंटर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

MATHURADAS KI DIARY (Humour & Stire)
by Mudrarakshas
Price : Rs. 50.00

अनुक्रम

परनिंदा सुख उर्फ एरिस्ट्रोक्रेट झाड़ू	7
पुरस्कार प्रसंग	10
सावधान ! आगे जनवादी रेजोमेंट है	14
अध्यक्षता का आनन्द	19
अथ श्री दिल्ली पुलिस पुराणम्	23
काशी विश्वनाथ : शासकीय नियमावली	27
विधायक बिकाऊ हैं···!	32
आलोचना के खतरे	37
ऋणंकृत्वा चर्बी पिवेत	41
पड़ता सिद्धान्त	46
चुनाव चक्र और एकता	51
उत्तर प्रदेश का कीर्तिमान	55
व्यंग्यकार की मेख	59
गरीबी की रेखा के इधर और उधर	64
समीक्षा सुख	68
टेढ़ा उल्लू	72
बड़ा क्या है : सच्चा सुख या सत्ता सुख	77
हिन्दी की शुभचिन्तक	82
ब्लैड युग की साहित्यिक हरकतें	87
बड़े बनने का गुर !	91
भारत भवन से मथुरादास की अपील	96
कम्प्यूटर क्रान्ति	101
उपदेशक की जमीन	105

लोगों ने घबराकर कहा, 'मगर जनाब, वे लोग तो भागे जा रहे हैं···'

सिपाही बोले, 'भागने दीजिए। हम नाकेबन्दी कर देंगे। रेल और हवाई-जहाज में से किसी तक भी वे नहीं पहुँचने पाएँगे।'

लोगों ने कहा, 'और अगर वे डकैत इसी शहर में छुप गये तो ?'

सिपाही चिढ़ गए, 'डकैत कहाँ छुपेंगे यह आप ज्यादा जानते हैं या पुलिस ? अब आप लोग अपना काम देखिए और हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए।'

इतना कहकर सिपाही उस ओर दौड़े जो डाकुओं से उल्टी दिशा थी। थोड़ी दूर उल्टी दिशा में दौड़ने के बाद वे वापस आए और बोले, 'डाकू उधर नहीं गए।'

लोगों ने कहा, 'मगर डाकू तो आपके सामने ही उल्टी तरफ गए थे। आप उनके पीछे क्यों नहीं जाते ?'

इस बात को सुनकर सिपाही बहुत गुस्सा हो गए, 'क्या हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि हमें किसके पीछे जाना है ? हमारी जिन्दगी बीत गई है इसी काम में, समझे ! आप चाहते हैं कि हम दौड़ें और डकैतों को पकड़ लें। अगर ऐसा किया तो हमारे कुत्ते क्या आपको सूँघेंगे ? फिंगर-प्रिंट-विशेषज्ञ फिर किस काम आएँगे ? हम हर काम वैज्ञानिक पद्धति से और कायदे के साथ करते हैं।'

इतना कहकर सिपाही चल दिये।

लोगों ने घबराकर पूछा, 'मगर श्रीमान्, अब आप जा कहाँ रहे हैं ?'

'रौंद पर'—सिपाहियों ने कहा और आगे बढ़ लिये।

काशी विश्वनाथ : शासकीय नियमावली

भगवान् शंकर देखते रहे और चोर उन पर चढ़ा सोने का पत्तर उतार ले गए। हमें बहुत चिन्ता हो गई थी। एक बस में एक आदमी की जेब कटती रही और वह धैर्यपूर्वक देखता रहा क्योंकि काटने वाले के एक हाथ में कैंची थी और दूसरे में एक अदद तमंचा। जेबकतरा चला गया तो जिसकी जेब कटी थी, इत्मीनान की साँस लेकर बोला, "शुक्र है।"

भगवान् शंकर ने भी जरूर इत्मीनान की साँस ली होगी, वरना पत्तर उखड़ने में मुश्किल होती देखकर चोर सम्भव था भगवान् की मुण्डी ही उखाड़ ले जाता।

ऐसी गड़बड़ी फैलने के बाद सरकार ने मन्दिर का अधिग्रहण कर लिया। अब काशी विश्वनाथ का मन्दिर भी उसी कुशलता से चलेगा जैसे छपरा का ब्लाक दफ्तर। उसकी कुशल व्यवस्था के लिए विस्तार के साथ नियम तैयार किये जाएँगे। इनमें से कुछ तो लिखित नियम होंगे जिन्हें समय-समय पर जिलाधिकारी या कभी-कभी थानाध्यक्ष भी लागू कर सकता है और कुछ अलिखित नियम होंगे जिन्हें सरकार की ओर से लागू करने का अधिकार किसी को भी होगा।

भगवान् शंकर, वल्द जो भी हो, साकिन बनारस को इत्तिला दी जाती है कि उसको मार्फत जिलाधिकारी सरकारी अमलदारी में शामिल कर लिया गया है। आज की तारीख से सरकार उसके खाने-खर्चे का जो भी माकूल खर्चा होगा, सही तख्मीना बनाने के बाद बजरिए ट्रेजरी देगी और इसके बाद सारे हुकूक सरकार के होंगे। कुछ इस तरह का नोटिस बाबा विश्वनाथ के के नाम भेजा जाएगा जिसे अस्वीकृत करने का अधिकार भगवान् को नहीं होगा।

इस अधिग्रहण की विधिवत् अधिसूचना जारी करने के बाद भगवान्

शंकर का भोजन नियत करना पहला काम होगा। इसके लिए सरकार भगवान् शिव को राशन के दफ्तर तो नहीं बुलाएगी लेकिन उन्हें अपना कार्ड बनवा लेना होगा। यह राशनकार्ड इस बात की गारण्टी तो नहीं होगा कि शिवजी को राशन मिल ही जाए, लेकिन बाकी बहुत काम आएगा। यानी इसके जरिए वे मिट्टी का तेल खरीद सकेंगे। इसकी सहायता से उनका नाम मतदाता सूची में भी आ जाएगा। वैसे राशन भी कभी-कभी तो मिल ही जाया करेगा जिसमें उन्हें कुछ ऐसे कंकड़-पत्थर थैले में दिये जाएँगे जिनमें काफी तादाद में ऐसे गेहूँ के दाने भी हों जिन्हें घुनों ने पूरा न खाया हो। ऐसी चिपचिपी-सी चीज वे अलग थैले में ला सकते हैं जिसे थैले से झाड़कर नहीं निचोड़कर देखें तो वह कुछ चीनी जैसी वस्तु होगी।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि शिवजी को भंग जैसे मादक पदार्थ की आदत है। सरकारी स्तर पर इसका प्रबन्ध नहीं किया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था उन्हें निजी संसाधनों से करनी होगी। हाँ, यदि वे इस मादक पदार्थ के बजाय मदिरा सेवन पसन्द करें तो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उनकी सहूलियत के लिए एक अदद प्रेस कार्ड जारी करने की अनुशंसा करेगा।

सरकार चूँकि अनुशासन को सर्वप्रथम मानती है इसलिए भगवान् शिव वल्द नामालूम को ड्यूटी का पाबन्द होना पड़ेगा। ऐसा सुना गया है कि वे अपनी बीवी मुसम्मात पार्वती को लेकर किसी गुफा में चले गए थे और काम-काज छोड़कर लम्बी अवधि तक वहीं रहे थे। तो ऐसी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। काम के घण्टों में लंच आवर छोड़कर उन्हें दफ्तर में रहना पड़ेगा और अर्जी देने वाले लोगों की समस्याओं पर उचित ध्यान देना होगा।

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी-किसी भक्त को महीनों चक्कर काटना होता है फिर भी उसकी मुराद पूरी नहीं की जाती। इसका लिखित हिसाब रखना होगा और मुराद पूरी न कर पाने के उचित और विश्वसनीय कारण फाइल पर दर्ज करने होंगे।

भगवान् शिव की एक चरित्र-पंजिका भी भरी जाएगी। यह पंजिका भरने का काम गोपनीय रूप से जिलाधिकारी करेगा। प्रतिकूल प्रविष्टि की स्थिति में शिव को यह अधिकार होगा कि सात दिन के भीतर उच्चाधिकारी के

पास अपील भेज सकें।

चूँकि काशी विश्वनाथ के मन्दिर का विधिवत् अधिग्रहरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है इसलिए एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिव और पार्वती को निःशुल्क भाग लेना होगा। इन अवसरों पर उन्हें किस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करने हैं इसका आदेश उन्हें निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से प्राप्त करना होगा। हालाँकि उक्त कलाकार युगल नृत्य के कार्यक्रम ही देते रहे हैं, किन्तु मन्त्रियों के आदेश पर उन्हें गजल आदि गाने के लिए तैयार रहना होगा। यदि शासन बाहर से किसी गायक को बुलाता है और गायक अपना तबलची लाना भूल जाता है तो भगवान् शिव की यह ड्यूटी होगी कि बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक वे तबले पर संगत करें।

भगवान् शिव चूँकि सवारी के लिए एक अदद बैल का इस्तेमाल करते हैं इसलिए उन्हें गोबर गैस प्लांट के लिए बैंक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा सकेगा। यह गोबर गैस प्लांट वे काशी विश्वनाथ मन्दिर के परिसर में लगा सकेंगे।

हालाँकि भगवान् शिव अधिकतर अपनी आदिवासी वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन उन्हें विशेष अवसरों के लिए अपनी वर्दी साफ-सुथरी रखनी होगी यानी छब्बीस जनवरी की परेड के वक्त प्रबन्धकों के आदेश पर उन्हें पूरे अनुशासन के साथ किसी उचित झाँकी पर बैठकर सलामी मंच के आगे से गुजरना होगा। इसके बाद डॉ० कैलाश वाजपेयी की उद्घोषणा के साथ दूर-दर्शन के लिए ऐसी रिकार्डिंग भी की जा सकती है जिसमें शिवजी को यह बताना पड़ेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम चला रही है उससे उनके कैलाश पर्वत के क्षेत्र में कितनी खुशहाली आई है। इस खुशहाली के बारे में जाहिर है, शंकर भगवान् को कुछ पता नहीं होगा। जहाँ खुशहाली सरकार के प्रयत्नों से आती है वहाँ वाले इस खुशहाली से अनभिज्ञ रह जाते हैं और आम तौर पर सरकार को ही इस बारे में आँकड़े पेश करने होते हैं।

वे आँकड़े शंकर भगवान् की सुविधा के लिए सूचना-विभाग उपलब्ध

करा देगा।

आँकड़े प्राप्त करने के बाद शंकरजी को दूरदर्शन के एक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्त्ता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अधिकारी दूरदर्शन की अद्वितीय प्रतिभा है और शंकरजी पर बड़ी कृपा कर रहा है। वह उन्हें यह कह कर टरका सकता है कि रिकार्डिंग की तारीख से उन्हें यथासमय सूचित किया जाएगा। अगर उन्हें किसी तरह स्टूडियो तक पहुँचने का सौभाग्य मिल भी गया तो उन्हें अपनी चन्द्रकला को उतारकर मेज के नीचे रख देना होगा अन्यथा कैमरा वाला उसके चमकदार होने की शिकायत करता हुआ अपना हेडफोन कैमरे के हैंडल पर लटकाकर चाय पीने चला जाएगा।

ऐसा सुना गया है कि शंकर भगवान् को कुछ भूतप्रेत सिद्ध हैं और उन्हें तन्त्र-मन्त्र भी आता है। सो उन्हें प्रशासन को अपनी सेवा में नियुक्त सभी भूत-प्रेतों की सूची पते-सहित देनी होगी। ये भूत आवश्यकता पड़ने पर सरकारी आदेश से बुलाए जा सकेंगे और ऊँचे अफसर या मन्त्री के शत्रु के विरुद्ध अनुष्ठान का प्रबन्ध करेंगे; लेकिन शंकर भगवान् को गारण्टी देनी होगी कि ये किसी भी हालत में हेमवतीनन्दन बहुगुणा या राजनारायण के पक्ष में कोई काम नहीं करेंगे।

ऐसा सुना गया है कि जहाँ मन्दिर में भगवान् के आवास, भोजन और वर्दी की समुचित व्यवस्था पहले से ही है वहीं वे भक्तों से बहुत-सी धनराशि चढ़ावे के रूप में स्वीकार करते रहते हैं। सैण्ट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कण्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स और फंडामेंटल रूल्स के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार की भेंट स्वीकार करने से वंचित किया गया है। भगवान् शिव चूँकि अब पूर्णतः सरकारी कर्मचारी घोषित किये जा चुके हैं लिहाजा उनके द्वारा ऐसी किसी भी भेंट की प्राप्ति नियमों का उल्लंघन होगी और इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकेगी।

भगवान् शिव को भविष्य में मौखिक आदेश से किसी की शिकायत दूर करने का अधिकार नहीं होगा। इम्तहान में नकल करते हुए न पकड़े जाने अथवा बिहार की उपाधि पर डाक्टरी करने में सफल होने की कामना करने वाले प्रार्थीजनों का लिखित प्रार्थनापत्र उन्हें डिप्टी कलेक्टर या

बी० डी० ओ० की मार्फत लेना होगा और बिना उक्त अधिकारी की अनुशंसा के इन प्रार्थनापत्रों पर निर्णय करने का अधिकार भगवान् शिव को नहीं होगा।

यह मन्दिर बहुत कुछ तिरुपति देवस्थानम् की पद्धति पर चलाया जाएगा यानी इसकी आय से एक चिकित्सालय चलाया जाएगा जहाँ उन नेताओं की हृदय-चिकित्सा होगी जो कुर्सी छूटने या न मिलने का भीषण आघात सहते रहते हैं। इससे कुछ ऐसी सड़कें बनाई जाएँगी जिनकी मद का रुपया तत्सम्बन्धी फाइलों की खरीद तक तो काम आ ही जाए। उन सड़कों पर ऐसी बस सेवाएँ चलाई जाएँगी जो मुर्दा गाड़ी ज्यादा लगें यात्री गाड़ी कम। ऐसे स्कूल भी खोले जाएँगे जिनके खुलने से पढ़ाई बन्द हो जाती है और प्रबन्धकों की तकदीरें खुल जाती हैं।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन ऐसे अन्य आदेश जारी करता रहेगा जिन्हें शासन जरूरी समझे।